आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल।

पी0ए0 वाद सं0–04/2018–19

आवेदक– गंगाराम मालतो

बनाम

16 आना रैयत, मौजा– चौकीपहाड़

आदेश

22.6.18 प्रस्तुत पी0 ए0 वाद सं0 04/2018–19, अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक सं0– 202/रा0 दिनांक 19.05.2018 से संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए मौजा चौकीपहाड़ के 16 आने रैयतो को विधिवत् नोटिश निर्गत कर आपत्ति आमंत्रित की गई ।

नोटिश तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। मौजा– चौकीपहाड़ के 16 आने रैयतों के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की गयी।

आवेदक को सुना। उनहोने बताया कि मौजा चौकीपहाड़ के पूर्व प्रधान स्व0 मैसा पहाडिया थे जो मेरे पिता थे। उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात् उक्त मौजा के कार्यवाहक प्रधान के रूप में मैं स्वयं कार्य कर रहा हूँ एवं मौजा का प्रधानी पद रिक्त है। उनके द्वारा मौजा– चौकीपहाड़ के रिक्त प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी तालझारी ने पत्रांक 202/रा0 दिनांक 19.05.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्राप्त। जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि आवेदक पूर्व प्रधान स्व0 मैसा पहाडिया का पुत्र है। पूर्व प्रधान स्व0 मैसा पहाडिया के मरणोपरान्त उनका पुत्र गंगाराम मालतो उक्त मौजा का कार्यवाहक प्रधान के रूप में स्वयं कार्य कर रहा हैं तथा इनके द्वारा मौजा का लगान जमा किया जाता है। आवेदक वर्तमान में चौकीपहाड़ में रहता है। अंचल अधिकारी, तालझारी के द्वारा आवेदक गंगाराम मालतो पिता स्व0 मैसा पहाडिया, सा0– चौकीपहाड़, पो0– बाकुडी थाना–तीनपहाड जिला साहेबगज को मौजा– चौकीपहाड़ के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गयी है।

अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी की अनुशंसा एवं 16 आने रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक गंगाराम मालतो पिता स्व0 मैसा पहाडिया, सा0– चौकीपहाड़, पो0– बाकुडी थाना–तीनपहाड जिला साहेबगज को संथाल परगना काश्त कारी अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत् मौजा– चौकीपहाड़ के रिक्त प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। आवेदक को आदेश दिया जाता है कि वे कबुलियत दाखिल करें तत्पश्चात् पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

29.8.18 आवेदक [illegible] नवनियुक्त प्रधान के द्वारा कबुलियत दाखिल किया गया है। पट्टा निर्गत करें।

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल।